<u>दिनांक ३ अप्रैल, २०१७ को आयोजित विद्वत्परिषद् की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त।</u>

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की विद्वत्परिषद् की सातवीं बैठक दिनांक 3 अप्रैल, 2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:

1. प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	अध्यक्ष
2. प्रो. शिववरण शुक्ल, छत्तीसगढ़	सदस्य
3. प्रो. मनोज कुमार मिश्र, रा.सं.सं	सदस्य
4. प्रो. हरिहर त्रिवेदी	सदस्य
5. प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी	सदस्य
6. प्रो. भागीरथि नन्द	सदस्य
7. प्रो. नागेन्द्र झा	सदस्य
8. प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	सदस्य
9. प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
10. प्रो. कमला भारद्वाज	सदस्य
11. प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य
12. प्रो. शुकदेव भोई	सदस्य
13. प्रो. हरेराम त्रिपाठी	सदस्य
14. प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा	सदस्य
15. प्रो. बिहारी लाल शर्मा	सदस्य
16. प्रो. विनोद कुमार शर्मा	सदस्य
17. प्रो. रचना वर्मा मोहन	सदस्य
18. प्रो. रजनी जोशी चौधरी	सदस्य
19. प्रो. जय कुमार एन. उपाध्ये	सदस्य
20. प्रो. रामराज उपाध्याय	सदस्य
21. प्रो. के. भारत भूषण	सदस्य
22. प्रो. संगीता खन्ना	सदस्य
23. प्रो. नीलम ठगेला	सदस्य
24. डॉ. यशवीर सिंह	सदस्य
25. डॉ. सुधांशुभूषण पण्डा	सदस्य

R.Bau

26. डॉ. बृन्दाबन दाश सदस्य
27. डॉ. मीनाक्षी मिश्र सदस्य
28. डॉ. विमलेश शर्मा सदस्य
29. डॉ. रेनू बतरा सचिव

कुलपति महोदय के निर्देशानुसार प्रो. हरिहर त्रिवेदी के मंगलाचरण के साथ ही बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। विद्वत्परिषद् के सदस्य प्रोफसर आर. देवनाथन् और विद्यापीठ में समाजशास्त्र की अध्यापिक डा. प्रगति गिहार के आकस्मिक निधन के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा विद्वत्परिषद् को सूचित करते हुए उनकी आत्मा की चिरशान्ति हेतु दो मिनट का मौन रखने का अनुरोध किया गया। तद्नुसार विद्वत्परिषद् के सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रोफेसर आर. देवनाथन् और डा. प्रगति गिहार की आत्मा की चिरशान्ति हेतु दो मिनट का मौन रखा गया। श्रद्धांजलि के उपरान्त विद्वत्परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

कुलपति महोदय द्वारा विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन) को यह निर्देश दिया गया कि वह विद्वत्परिषद् की सातवीं बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची के प्रत्येक मद को प्रस्तुत करें जिससे उपस्थित सदस्य उस पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त अपना निर्णय प्रदान करें। तद्नुसार प्रत्येक मद को प्रस्तुत किया गया और गहन विचार-विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

कार्यसूची संख्या ७.१ विद्वत्परिषद् की दिनांक २० दिसंबर, २०१६ को सम्पन्न हुई छठीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

विद्वत्परिषद् की दिनांक 20 दिसंबर, 2016 को सम्पन्न हुई छठीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या ७.२ विद्वत्परिषद् की दिनांक २० दिसंबर, २०१६ को सम्पन्न हुई छठीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन।

विद्वत्परिषद् की दिनांक 20.12.2016 को सम्पन्न हुई छठीं बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के विषय में विद्वत्परिषद् के सचिव द्वारा प्रस्तुत कृत कार्यवाही की पुष्टि की गयी। कार्यवृत्त के संकल्प संख्या 6.2 के अन्तर्गत योग विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में क्रम संख्या 5 पर प्रस्तुत विषय स्वतंत्र मद के अन्तर्गत विचार किया गया। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि जिन

R. Batra

विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त पर क्रियान्वयन नहीं किया गया वे शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।
विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय मद, निर्णय और कृत कार्यवाही का विवरण एक साथ सारणी में प्रस्तुत किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किए गये वार्षिक प्रतिवेदन को यथाशीघ्र नैक को प्रेषित किया जाय।

कार्यसूची संख्या ७.३ समय-समय पर आयोजित संकाय प्रमुखों एवं अन्य शैक्षणिक समितियों की बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि ।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन हेतु संकाय-प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों की समय-समय पर सम्पन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों की कार्यवाही विद्वत्परिषद् की पुष्टि की गई।

1. **दिनांक १०/२/२०१७ को आयोजित स्ववित्तपोषित एव अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए उप-नियम तैयार करने हेतु बैठक का कार्यवृत्त।**

विद्वत्परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 21/4/2015 मदसंख्या 3.2 में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में स्ववित्तपोषित अंशकालीन पाठ्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए उपनियम तैयार करने हेतु संबंधित पाठ्यक्रम संयोजकों की कुलसचिव महोदया के साथ दिनांक 10/2/2017 को चर्चा उपरान्त निम्नलिखित संस्तुतियाँ की गयी थी जिन्हें विद्वत्परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। विद्वत्परिषद् द्वारा स्वीकृत निर्णय निम्नलिखित हैं :-

1. समस्त स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों में छात्रों के प्रवेश हेतु प्रवेश सम्बन्धी सूचना प्रतिवर्ष अप्रैल, जून एवं नवम्बर माह में कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय और विद्यापीठ की बेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाय। संस्कृत के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी प्रवेश सूचना सम्बन्धी विज्ञप्ति दी जानी चाहिए। प्रवेश सूचना सम्बन्धी विज्ञापन आकर्षक हो और उसमें पाठयक्रमों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी का उल्लेख हो।
2. समस्त संस्कृत महाविद्यालयों एवं गुरुकुलों को भी प्रवेश सूचना तत्काल प्रेषित की जाय। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित उचित एवं विस्तृत जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संयोजक विभिन्न-विभिन्न गुरुकुलों में जाकर प्रवेश प्रक्रिया का प्रचार करें। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सदस्यों के एक दल का गठन किया जाता है जो समस्त नियमित पाठ्यक्रमों एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों का गुरुकुल में प्रचार-प्रसार करेगा :-

अ. प्रोफेसर कमला भारद्वाज, नियमित पाठ्यक्रम एवं संस्कृत पत्रकारिता

ब. प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी, नियमित पाठ्यक्रम एवं योग

स. प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, नियमित पाठ्यक्रम एवं ज्योतिषशास्त्र

द. डा. रामसलाही द्विवेदी, नियमित पाठ्यक्रम एवं संस्कृत सम्भाषण

य. डा. बृन्दावन दाश, नियमित पाठ्यक्रम एवं पौरोहित्य

र. डा. देशबन्धु, नियमित पाठ्यक्रम एवं वास्तुशास्त्र

3. विद्यापीठ के मुख्य द्वार एवं आवासीय द्वार पर यथाशीघ्र **इलेक्ट्रानिक डिजिटल बोर्ड** लगवाया जाय जिससे विद्यापीठ द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाली सूचनाएं प्रदर्शित एवं प्रेषित की जा सकें। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर गेट पर लगाये जाने वाले बैनरों की परम्परा समाप्त की जाय। विशेष परिस्थिति में कुलपति की अनुमति से बैनर लगाए जा सकते हैं।

   नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित आवश्यक सूचनाएं दोनों द्वारों पर 25 अप्रैल, 2017 तक अवश्य प्रदर्शित की जायें। षाण्मासिक पाठ्यक्रमों के लिए 15 दिसम्बर, 2017 तक जनवरी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सूचना प्रदर्शित की जायें।

4. समस्त अंशकालीन पाठ्यक्रमों में (षाण्मासिक पाठ्यक्रम) प्रवेश हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कम से कम दो बार समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायें।
5. समस्त पाठ्यक्रम संयोजक अपने-अपने विभाग से संबंधित पाठ्यक्रम को तैयार कर विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करने के लिए 15 अप्रैल, 2017 तक शैक्षणिक अनुभाग को उपलब्ध कराएं।
6. समस्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की कक्षाएं प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को अपराह्न 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक आयोजित की जाएंगी। यदि आवश्यकता हुई तो अन्य कार्यदिवसों में सायंकाल में भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं।
7. योग की प्रायोगिक कक्षाएं प्रातः 6.30 से 9.30 तक होंगी तथा शनिवार रविवार को सैद्धांतिक कक्षाएं 10.00 से 1.00 तक होंगी।
8. संबंधित पाठ्यक्रम के संचालक अपने पाठ्यक्रम से संबंधित समय-सारिणी के अनुसार ही कक्षाओं का संचालन करें।
9. कक्षाओं के संचालन हेतु बाह्य अध्यापकों / अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रतिवर्ष जून माह में ही सम्पन्न कर ली जाय। अध्यापकों को देय मानदेय, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के मद से ही किया जाता है, अतएव यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम के संचालन के लिये छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रयास किया जाय।
10. अंशकालीन कक्षाओं में अध्यापन हेतु आंतरिक एवं बाह्य अध्यापकों हेतु मानदेय राशि इस प्रकार होगी:-

    क) आंतरिक अध्यापकों हेतु मानदेय 700/- प्रति घण्टा

    ख) बाह्य अध्यापकों हेतु मानदेय 700/- प्रति घण्टा तथा 300/- यात्रा भत्ता प्रतिदिन

R.Babu

11. संबंधित पाठ्यक्रमों से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत संबंधित पाठ्यक्रम के संचालन हेतु व्यय किया जाएगा एवं 30 प्रतिशत राशि विद्यापीठ द्वारा विकास एवं रख-रखाव के लिए संचित किया जाएगा।
12. अंशकालीन पाठ्यक्रमों में अतिथि अध्यापकों एवं प्रशिक्षकों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व प्रशासन विभाग को प्रस्ताव एवं योजना भेजकर नियुक्ति की प्रक्रिया जून माह में पूर्ण की जाय।
13. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बाह्य अभ्यर्थियों एवं विद्यापीठ में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं से एक समान प्रवेश शुल्क लिया जाएगा।
14. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्र / छात्रा की कक्षा में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
15. अंशकालीन पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाय जिसमें समस्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से संबंधित सभी कार्य दो कनिष्ठ लिपिक एवं एक परिचारक (एक कनिष्ठ लिपिक योग पाठ्यक्रम हेतु और एक कनिष्ठ लिपिक अन्य सभी पाठ्यसक्रमों के लिए) द्वारा किया जाएगा जिनकी नियुक्ति सेवाप्रदायी बाह्य संस्था से वार्षिक अनुबंध के आधार पर की जाएगी तथा विद्यापीठ द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार मानदेय का भुगतान स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से प्राप्त आय से किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ शैक्षणिक अनुभाग के अन्तर्गत कार्य करेगा जिसके माध्यम से स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रवेश आदि सभी प्रक्रियाएं सम्पन्न की जाएगी तथा सम्बन्धित दस्तावेजों, उपस्थित एवं पंजिकाओं आदि का रख-रखाव भी किया जाएगा।
16. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में समस्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में 25% की वृद्धि की जाती है। संशोधित शुल्क की गणना कर उसकी सारणी शैक्षणिक नियम परिचायिका में संलग्न किया जाय। छात्रों को वार्षिक पाठ्यक्रमों में प्रतिसत्र शुल्क जमा करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

उपरोक्त नियम शैक्षणिक परिचायिका 2017-18 में 'स्ववित्तपोषित अंशकालिक पाठ्यक्रम परिनियम' मद के अन्तर्गत प्रकाशित किये जायँ। किसी नियम की अस्पष्टता या नये नियम की आवश्यकता की स्थिति में कुलपति का निर्णय प्रभावी होगा।

२. आभासी या वर्चुअल कक्षाओं के संबंध में दिनांक १६.०२.२०१७ को अपराह्न ०३.३० बजे आयोजित बैठक में की गयी संस्तुतियों पर विचार।

आचार्य एवं शास्त्री पाठ्यक्रम के आधार पर ई-पाठ्यांश (e-content) तैयार करने हेतु वर्चुअल (आभासी) कक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के आधार पर विडियो लेक्चर की रिकार्डिंग, सम्पादन और व्यवस्थापन के संबंध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा संकाय प्रमुखों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों की गठित समिति की बैठक दिनांक 16.02.2017 को अपराह्न 03.30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई थी जिसकी निम्नलिखित संस्तुतियों की स्वीकृति प्रदान की गयी :--

R. Bala

1. सारस्वत साधना सदन के तृतीय तल पर रिकार्डिंग कक्ष के स्थान पर द्वितीय तल पर ईपीजी पाठशाला कक्ष को वर्चुअल (आभासी) कक्ष में रूप में यथाशीघ्र तैयार किया जाय।
2. वर्चुअल कक्षाओं से सम्बन्धित निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु डा. के. सतीश को संयोजक और डा. एस. सुदर्शन को सहसंयोजक नामित किया जाता है। प्रो. सुदीप कुमार जैन की अध्यक्षता में डा. के. सतीश, डा. एस. सुदर्शन, डा. आदेश कुमार, डा. आदित्य पंचोली और श्री बनवारी लाल बर्मा (संयोजक) से युक्त एक समिति गठित की जाती है जो समय-सारिणी तैयार कर कुलपति को प्रस्तुत करेगी। रिकार्डिंग-विडियो-आडियो एडिटिंग इत्यादि में निर्देशन के लिए डॉ. के.एस. सतीश तथा डॉ. एस. सुदर्शनन को तकनीकी विशेषज्ञ का भी कार्य दिया जाता है। व्यवस्था के संचालन एवं क्रियान्वयन इत्यादि में संगणक केन्द्र आवश्यक कार्यवाहियाँ सम्पन्न करेगा।
3. सर्वप्रथम व्याख्यानों को रिकार्ड किये जाने के लिये समिति के संयोजक द्वारा संकायप्रमुखों व विभागाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर अप्रैल, 2017 में एक कैलेण्डर तैयार किया जायेगा जिसमें विषय सामग्री, विषय विशेषज्ञों की सूची, पाठ्यक्रम के अनुसार रिकार्ड किये जाने वाले अध्यायों का विवरण, समयसारिणी व अन्य आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण कुलपति की अनुमति हेतु अप्रैल, 2017 के अंतिम सप्ताह में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4. अगस्त, 2017 से वर्चुअल कक्षाओं में विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों द्वारा एक-एक घण्टे के एक दिन में पाँच व्याख्यान रिकार्ड किये जायेंगे, अर्थात् प्रति सप्ताह 25 व्याख्यान व एक महीने में लगभग 100 व्याख्यान रिकार्ड किये जायेंगे । विद्यापीठ के एक अध्यापक को हर माह में कम से कम एक व्याख्यान व साल में 12 व्याख्यान अपने अध्याप्य विषय से रिकार्ड करने अनिवार्य हैं ।
5. व्याख्यान संस्कृत भाषा में रिकार्ड किये जायेंगे। आधुनिक विषय, जिस भाषा में पढ़ाये जाते हैं उसी भाषा में उनके व्याख्यान रिकार्ड किये जायेंगे।
6. रिकार्डिंग, वीडियो-आडियो व एडिटिंग के लिए एक बाह्य विशेषज्ञ को नियुक्त किया जायेगा।
7. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि व्याख्यान रिकार्ड किये जाने के लिए विषय विशेषज्ञों को किसी प्रकार का मानदेय/पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा। व्याख्यान रिकार्ड कराने वाले विषय विशेषज्ञ को प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा। विषय विशेषज्ञ व अन्य सहयोगियों के लिए जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
8. शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से विशिष्ट व्याख्यानों एवं सम्मेलनों के अन्तर्गत प्रस्तुत शोध पत्रों की रिकार्डिंग की जाय जिसे आभासी कक्षाओं के लिए उपयोग में लाया जाय।

सर्वसम्मति से विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया की वर्चुअल कक्षाओं से संबंधित व्याख्यान रिकोर्ड करने हेतु यथाशीघ्र समय-सारणी तथा विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार की जाए। इस संबंध में संकाय प्रमुखों की समिति की बैठक आयोजित कर कार्यवाही सम्पन्न की जाए। इस कार्य में आवश्यकतानुसार संगणक के अध्यापकों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। समिति का संयोजन सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) द्वारा किया जायेगा।

R-Babu Rug

३. व्याख्यानमालाओं/राष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजन के संबंध में दिनांक १६.०२.२०१७ को अपराह्न ०४.३० बजे आयोजित बैठक में की गयी संस्तुतियों की पुष्टि।

विद्यापीठ द्वारा आयोजित की जाने वाली व्याख्यानमालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों व कार्यशाला के आयोजन के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु दिनांक 16.02.2017 को अपराह्न 03.30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष संकाय प्रमुखों, विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों की समिति की बैठक आयोजित की गई । समिति द्वारा की गई निम्नलिखित संस्तुतियों की पुष्टि की गई :--

1. सम्मेलनों/संगोष्ठियों के आयोजन का दायित्व संकायप्रमुखों का है। राष्ट्रीय संगोष्ठियों के लिए कुल तीन लाख रुपये निर्धारित हैं, सभी संकायों को राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने के लिए समान धनराशि का आवंटन किया जाय। वेद विभाग को महर्षि सान्दीपनि वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन द्वारा अनुदान प्राप्त है । आधुनिक विद्या संकाय को पाण्डुलिपि विज्ञान में कार्यशाला आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, नई दिल्ली से अनुदान प्राप्त हुआ है, अत: इस वर्ष आधुनिक विद्या संकाय की धनराशि वेद-वेदांग संकाय को छोड़कर अन्य तीनों संकायों में समानुपात रूप से आवंटित की जाए । इस प्रकार संकायों को निम्नलिखित रूप से धनराशि उपलब्ध करायी गयी और सभी संकायों द्वारा कार्यशाला सकुशल सम्पन्न किया गया :-

(1)	वेद-वेदांग संकाय	60,000 रुपये
(2)	साहित्य एवं संस्कृति संकाय	60,000 + 20,000 कुल 80,000 रुपये
(3)	दर्शन संकाय	60,000 + 20,000 कुल 80,000 रुपये
(4)	शिक्षाशास्त्र संकाय	60,000 + 20,000 कुल 80,000 रुपये
(5)	आधुनिक विद्या संकाय	(राष्ट्रिय पाण्डुलिपि मिशन द्वारा प्राप्त अनुदान पर)

2. निम्नलिखित अवशिष्ट व्याख्यानमालाओं के आयोजन का दायित्व निम्नलिखित संयोजकों को दिया गया था जिन्होंने कुलशलतापूर्वक व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया :-

	व्याख्यानमाला का नाम	संकाय/विभाग/विषय विशेषज्ञ
1.	डॉ. मण्डनमिश्र स्मारक व्याख्यानमाला,	प्रो. कमला भारद्वाज
2.	डॉ. वाचस्पति उपाध्याय स्मारक व्याख्यानमाला	प्रो. भागीरथि नन्द
3.	डॉ. कल्याणदत्त शर्मा स्मारक व्याख्यानमाला,	प्रो. बिहारी लाल शर्मा
4.	डॉ. गौरीनाथ शास्त्री स्मारक व्याख्यानमाला	डॉ. विष्णुपद महापात्र
5.	डॉ0 आदित्यनाथझा स्मारक व्याख्यानमाला	प्रो. नागेन्द्र झा
6.	डॉ. पट्टाभिराम शास्त्री स्मारक व्याख्यानमाला	प्रो. केदारप्रसाद परोहा
7.	आचार्य रमाकान्त शास्त्री स्मारक व्याख्यानमाला	प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी

R. Bal... [signatures]

8. आचार्य कुन्दकुन्द स्मृति स्मारक व्याख्यानमाला प्रो. जयकुमार उपाध्ये

प्रत्येक व्याख्यानमाला आयोजित करने के लिए 12,000/- रुपये की सीमित धनराशि उपलब्ध थी, अतः संयोजकों द्वारा मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा गया ।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में सेमिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम/ व्याख्यानमालाओं का संयोजन सितम्बर, 2017 से फरवरी, 2018 तक सम्पन्न किया जाय। इस सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार करने के लिए संकाय प्रमुखों की समिति यथाशीघ्र अपनी संस्तुति प्रदान करेगी। समिति का संयोजन सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) द्वारा किया जायेगा। कुलपति को अधिकृत किया गया ।

3. फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की व्यवस्था कम्प्यूटर विभाग द्वारा की जायेगी । इस कार्य में श्री महेन्द्र जंगापल्ली एवं अन्य कुशल कर्मचारियों की सेवा ली जा सकती हैं ।
4. संगोष्ठी एवं कार्यशाला में दिल्ली से आमंत्रित विद्वानों को अधिकतम रुपये 800/- यात्राभत्ता तथा एन.सी.आर. से आमंत्रित विद्वानों को अधिकतम रुपये 1200/- यात्राभत्ता का भुगतान किया जा सकता है ।
5. संगोष्ठी एवं कार्यशाला के उद्घाटन एवं समापन हेतु विशिष्ट आमंत्रित सदस्य को मानदेय के रूप में रुपये 2000/- का भुगतान किया जायेगा तथा एक दिन में दो सत्र से ज्यादा सत्र आयोजित नहीं किये जायेंगे । विद्यापीठ में कार्यरत विद्वानों को शोध पत्र पढ़ने या संगोष्ठी एवं कार्यशाला की अध्यक्षता हेतु कोई मानदेय प्रदान नहीं किया जायेगा ।
6. संगोष्ठी/कार्यशाला हेतु विभिन्न मदों में दरें इस प्रकार रहेंगी :--

(1)	लंच	रु. 130/- प्रति व्यक्ति (आवश्यकतानुसार, यही दर रात्रि भोजन में लागू होगी ।
(2)	रिफ्रेशमेंट	रु. 50/- प्रति व्यक्ति
(3)	स्टेशनरी एवं फोल्डर्स इत्यादि	रु. 150/- प्रति किट .
(4)	ट्रेन किराया	द्वितीय श्रेणी (वातानुकूलित) और वास्तविक, जो भी कम हो, टिकट प्रस्तुत करने पर । टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति में ट्रेन का तृतीय श्रेणी (वातानुकूलित) किराया देय होगा ।

7. संगोष्ठी/कार्यशाला/व्याख्यानमाला में आमंत्रित किये जाने वाले विद्वानों के नाम, विषय संयोजक/संकायप्रमुख द्वारा विभागाध्यक्षों के साथ चर्चा कर, कुलपति महोदय की स्वीकृति के लिए विकास अनुभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय। विद्यापीठ की विभिन्न व्याख्यानमालाओं का आयोजन विकास अनुभाग के सहयोग से पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार किया जायेगा ।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के अनुसार वर्ष 2016-17 में आयोजित व्याख्यानमालाओं, सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रमों की रिपोर्ट

R-Babu. RMP

विकास विभाग में यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए जिससे उन्हें विद्वत्परिषद् की आगामी बैठक में सूचनार्थ रखा जाए।

4. **शैक्षणिक सत्र 2016-17 में प्रविष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु गठित समिति की बैठक में की गयी संस्तुतियां :-**

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में प्रविष्ट आचार्य, शास्त्री एवं विशिष्टाचार्य के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 18.1.2017 को अपराह्न 3.00 बजे कक्ष संख्या 3(सम्मेलन कक्ष) में आयोजित की गई थी। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा शैक्षणिक नियम परिचायिका 2016-17 में उल्लिखित छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से सम्बन्धित नियमों को संज्ञान में लेते हुए विचार-विमर्श करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2016-17 में शास्त्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, आचार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, विशिष्टाचार्य के छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2016-17 के प्रथम सेमेस्टर की छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :-

1. शास्त्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, आचार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, विशिष्टाचार्य के जिन छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत पूर्ण है, ऐसे सभी छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान किया जाय।
2. विशिष्टाचार्य के छात्रों को निर्धारित योग्यता क्रमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान करने की जाय यदि वे निर्धारित अर्हता एवं 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करते हों।
3. जिन छात्रों द्वारा किन्ही कारणवश अपनी अंकतालिका/अन्य प्रमाणपत्र कार्यालय में जमा नहीं करवाये ऐसे छात्रों को प्रमाणपत्र जमा करवाने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।
4. सत्रीय परीक्षा में किसी भी पत्र में रहे अनुपस्थित रहे छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी।
5. यदि कोई छात्र प्रथम सत्र की अवधि में छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित पात्रता पूर्ण नहीं करता तो उसे प्रथम सेमेस्टर की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जायेगी, उसको मात्र द्वितीय सेमेस्टर की छात्रवृत्ति ही प्रदान की जायेगी बशर्ते कि वह द्वितीय सेमेस्टर की छात्रवृत्ति की पात्रता पूर्ण करता हो।

1.	शास्त्री (बी.ए.)	योग्यताक्रम से 120 छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष 800/रूपये मासिक
2.	आचार्य (एम.ए.)	25 छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष प्रतिविषय 1000/रूपये मासिक
3.	विशिष्टाचार्य(एम.फिल.)	20 छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष प्रतिविषय में एक 1500/रूपये मासिक आनु0 व्यय 2000/रूपये (प्रतिवर्ष)

R-Bala

समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 के प्रथम सेमेस्टर में प्रविष्ट छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अनुशंसा की विद्वत्परिषद द्वारा पुष्टि की गयी।

विद्वत्परिषद् द्वारा छात्रवृत्ति समिति द्वारा प्रस्तुत अन्य अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि छात्रवृत्ति की संख्या और छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में यथास्थिति बनायी रखी जाय।

कार्यसूची संख्या ७.४ शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ के प्रथम सत्र की परीक्षा के परिणाम की पुष्टि।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 के प्रथम सत्र की परीक्षा के परिणाम घोषित करने हेतु गठित परीक्षा मण्डल की बैठक आहूत की गई थी जिसमें शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, प्रमाण-पत्रीय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के परिणाम की स्वीकृति के साथ-साथ उन्हें घोषित करने का निर्णय लिया गया था। परीक्षा मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों और परीक्षा परिणाम को विद्वत्परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यसूची संख्या 7.5 शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए निर्मित शैक्षणिक कैलेण्डर की स्वीकृति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 की धारा 14, 15 एवं एन.सी.टी.ई. के प्रावधानों के अनुपालन हेतु शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए शैक्षणिक कैलेण्डर की पुष्टि की गयी और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार ही संचालित की जायेंगी। शैक्षणिक कैलेण्डर में क्रीड़ा एवं खेलकूद के कार्यक्रमों, संगोष्ठी/कार्यशाला/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि को समय-समय पर आयोजित करने के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। **संकाय प्रमुखों की समिति इस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव कुलपति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी और कुलपति के निर्णय के उपरान्त उन कार्यक्रमों को कैलेण्डर में प्रकाशन के पूर्व सम्मिलित किया जायेगा।**

विद्वत्परिषद् द्वारा शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य कक्षाओं के लिए तैयार शैक्षणिक कैलेण्डर का अवलोकन करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष में कम से कम 200 शैक्षणिक दिवस आवश्यक हैं । शिक्षाशास्त्र संकाय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य कक्षाओं का संचालन एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों के अनुसार ही किया जाएगा। **अतः विद्वत्परिषद् द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया**

R-Bau

कि वे प्रस्तुत शैक्षणिक कैलेण्डर में अन्य आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा संकाय प्रमुख की संस्तुति प्राप्त कर निर्णय लें।

विद्वत्परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अध्यापक अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी समय-सारिणी यथाशीघ्र तैयार कर कुलपति महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत करे और स्वीकृति के उपरान्त उसे अपने कक्ष के दरवाजे पर लगाए गए बोर्ड पर चस्पा करे।

विद्वत्परिषद् यह निर्णय भी करती है कि प्रतिवर्ष सत्रारम्भ जून के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होगा और शैक्षणिक वर्ष का दूसरा सत्र दिसंबर के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होगा।

विद्वत्परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ के लिये नियमित एवं अंशकालिक पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन हेतु मई, २०१७ में समय सारिणी बनाने के लिये समिति का गठन करने एवं समय सारिणी को स्वीकृत करने के लिये कुलपति को अधिकृत किया जाता है। समिति अपनी रिपोर्ट ग्रीष्मावकाश के पूर्व कुलपति की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करेगी जिसे स्वीकृति के उपरान्त विद्यापीठ की बेबसाइट और सूचना पट्टों पर दर्शाया जायेगा, आवश्यकतानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त सितम्बर, २०१७ में समय-सारिणी में संशोधन किया जा सकता है।

तदनुसार कुलपति द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया -

अ. शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि के नियमित पाठ्यक्रमों के लिये समय-सारिणी समिति

1. प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी - अध्यक्ष
2. प्रोफेसर भागिरथि नन्द
3. प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा
4. डा. मीनू कश्यप

ब. शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, शिक्षा-विशिष्टाचार्य एवं शिक्षा-विद्यावारिधि के नियमित पाठ्यक्रमों के लिये समय-सारिणी समिति

1. प्रोफेसर रमेश प्रसाद पाठक - अध्यक्ष
2. प्रोफेसर नागेन्द्र झा
3. प्रोफेसर रचना वर्मा मोहन
4. डा. मीनाक्षी मिश्रा

स. अंशकालिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिये समय-सारिणी समिति

1. प्रोफेसर कमला भारद्वाज - अध्यक्षा

R. Bau

2. प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी
3. प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा
4. डा.वृन्दावन दाश
5. डा. रामसलाही द्विवेदी
6. डा. देशबन्धु

कार्यसूची संख्या ७.६ शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ में विद्यावारिधि में पंजीकरण हेतु आयोजित शोध मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त की स्वीकृति।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में शोध मण्डल की बैठक दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर, 2016 को आयोजित की गई शोध मण्डल की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार 73 शोधच्छात्रों को विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में विभिन्न विभागों में पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, तदनुसार 71 छात्र वर्ष 2016-17 में विद्यावारिधि के लिए पंजीकृत किये गये हैं। शोध मण्डल की अनुशंसा के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2016-17 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में जिन छात्रों का पंजीकरण हुआ है उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में प्रदत्त सभी प्रावधानों का पूर्ण रूप अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विद्वत्परिषद् द्वारा सभी शोध छात्रों को विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकरण की पुष्टि की गई।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अंशकालिक विद्यावारिधि पाठ्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत यदि कोई छात्र सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त कम से कम छः माह तक निर्धारित शोध निर्देशक के साथ विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में शोध कार्य सम्पन्न कर लेता है और कहीं सेवारत हो जाता है तो उसके प्रार्थनापत्र एवं उस संस्था के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर सेवायोजक द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र देने और कुलपति की स्वीकृति के उपरान्त नियमित से अंशकालिक शोधछात्र के रूप में शोध कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे शोध छात्र को भी षाण्मासिक प्रगति विवरण शोध समीक्षा समिति के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना होगा। अंशकालिक शोध छात्र को केवल नियमित उपस्थिति में छूट प्रदान की जायेगी। अन्य प्रक्रिया हेतु उसे विद्यापीठ के शोध नियमावली का अनुपालन करना होगा।

सेवारत कर्मचारियों द्वारा सेवा संस्थान के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रवेश प्रक्रिया के नियमों का अनुपालन करने के उपरान्त अंशकालिक शोध छात्र के रूप में पंजीयन की अनुमति शोध मण्डल द्वारा प्रदान की जा सकती है। ऐसे छात्र को कम से कम एक वर्ष तक नियमित [illegible] विद्यापीठ में शोध कार्य करना होगा तथा सत्रीय पाठ्यक्रम में सहभागिता (कम से कम 75 प्रतिशत

R-Bolu Rey

उपस्थिति) के साथ उसे उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसे छात्रों को अगले छः माह तक निर्देशक के साथ शोध कार्य करना आवश्यक है।

कार्यसूची संख्या ७.७ केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की स्वीकृति।

विद्वत्परिषद् की दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को आयोजित तृतीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त संकायों की विभागीय शोध समीक्षा समिति का गठन किया जा चुका है। वेद वेदांग संकाय, साहित्य एवं संस्कृति संकाय और दर्शन संकाय द्वारा अपने-अपने संकाय में पंजीकृत शोध छात्रों की शोध प्रगति की समीक्षा एवं शोध की गुणवत्ता में वृद्धि इत्यादि की समीक्षा हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार समिति की बैठक का आयोजन किया गया:-

1. साहित्य एवं संस्कृति संकाय	दिनांक-15.02.2017
2. दर्शन संकाय	दिनांक-06.03.2017
3. वेद-वेदांग	दिनांक-27.03.2017 से 28.03.2017

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समस्त संकाय प्रमुख सुनिश्चित करें कि शोध समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तथा जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाय। प्रत्येक संकाय अपने समस्त विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों की समीक्षा के उपरान्त उपस्थित एवं अनुपस्थित छात्रों एवं अनुशंसित तथा निरस्त छात्रों की पृथक्-पृथक् सूची प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक संकाय के लिए शोध समीक्षा समिति में कुलपति द्वारा बाह्य विषय विशेषज्ञ को दो वर्ष तक के लिये मनोनीत किया जायेगा। शोध समीक्षा समिति संकाय के समस्त विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों के शोध की षाणमासिक प्रगति का मूल्यांकन करेगी। शोध समीक्षा के लिए पंजीकृत छात्र को प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। शोध कार्य की गोपनीय समीक्षा रिपोर्ट कुलपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। शोध समीक्षा समिति के मूल्यांकन और कुलपति की स्वीकृति के उपरान्त ही शोध छात्र का प्रगति विवरण स्वीकार किया जायेगा।

विद्वत्परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि फरवरी और मार्च, 2017 में आयोजित केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति द्वारा प्रदत्त संस्तुति के अनुसार साहित्य एवं संस्कृति संकाय के शोध छात्र श्री देवीप्रसाद डोबरियाल, श्री शिवराज, श्री सुभाष रतूड़ी, श्री धर्मवीर शर्मा एवं शोध छात्रा श्रीमती राजबाला एवं श्रीमती शीतल कुमारी का पंजीकरण निरस्त किया जाता है। दर्शन संकाय की शोध समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 6.3.2017 में लिये गये निर्णय की पुष्टि की गयी। दर्शन संकाय के शोध समीक्षा समिति द्वारा केवल 25 शोध छात्रों की ही शोध समीक्षा की गयी है, अतः [illegible] लिया गया कि दर्शन संकाय द्वारा शोध समीक्षा समिति की यथाशीघ्र बैठक आहूत कर अन्य [illegible] पंजीकृत छात्रों के शोध प्रगति की समीक्षा सम्पन्न की जाय।

R. Bali

विद्वत्परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि :-

1. शोध समीक्षा समिति की बैठक में ऐसे शोध छात्र जिन्होंने विगत एक वर्ष का प्रगति विवरण शैक्षणिक अनुभाग में जमा न किया हो और जो विगत दो समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहे हों उनकी सूची तैयार कर उन्हें पन्द्रह दिनों के अन्दर शोध प्रगति विवरण प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यह सूचित किया जाय कि एक माह में शोध समीक्षा समिति की बैठक आहूत की जायेगी और प्रगति विवरण प्राप्त न होने पर उनका पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

2. विद्यावारिधि उपाधि विनियम, 2016 के अनुसार पंजीकृत शोध छात्रों के लिये उनके पंजीयन की तिथि से अगले तीन वर्षों तक कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य होगी।

3. विद्यावारिधि उपाधि विनियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत शोध के लिए पंजीकृत छात्रों को तीन वर्ष की नियमित उपस्थिति और सम्बन्धित अवधि में शोध की संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट के बाद नियमित उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। तीन वर्ष के उपरान्त भी शोध छात्र को शोध प्रबन्ध जमा करने की निर्धारित अवधि में शोध प्रगति विवरण प्रति छः माह में जमा करना अनिवार्य होगा जिससे उसे शोध समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

कार्यसूची संख्या ७.८ शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ में विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक नियम परिचायिका में निहित प्रावधानों एवं नियमों की स्वीकृति।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 शैक्षणिक नियम परिचायिका तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा निर्मित शैक्षणिक नियय परिचायिका को स्वीकृति प्रदान की गयी। शैक्षणिक नियम परिचायिका, 2017-18 के अन्तर्गत विद्यापीठ के विभिन्न भवनों, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं आदि का रंगीन फोटोग्राफ आर्ट पेपर पर प्रस्तुत करते हुए सम्पादन के उपरान्त मुद्रण कार्य सम्पन्न किया जाय। साथ ही साथ इस बैठक में लिये गये अन्य सम्बन्धित निर्णयों, यथा अंशकालिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम एवं शोध समीक्षा आदि, को भी नियम परिचायिका में यथास्थान मुद्रित किया जाय।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए तैयार शैक्षणिक नियम परिचायिका का **मुद्रण कराने से पूर्व प्रथमतः प्रो. सुदीप कुमार जैन, संकाय प्रमुख (शैक्षणिक) को एक सप्ताह के अन्दर प्रूफ देख कर प्रोफसर भागीरथि नन्द को प्रेषित करेंगे** जो सम्पादित कर अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे जिससे मुद्रण कार्य शीघ्रातिशीघ्र अप्रैल, २०१७ में सम्पन्न किया जा सके।

कार्यसूची संख्या ७.९ शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ के लिए गठित कुलानुशासक मण्डल की पुष्टि।

R.Bar

कार्यालयीय आदेश संख्या एफ-3/एलबीएंसवी/शै/2017/1052 दिनांक 20/2/2017 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विद्यापीठ परिसर की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था छात्रों में अनुशासन को सुव्यवस्थित बनाये रखने आदि के लिए गठित कुलानुशासक मण्डल की पुष्टि की गयी।

विद्वत्परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कुलानुशासक मण्डल विद्यापीठ परिसर में सुरक्षा, छात्रों में अनुशासन और कुलपति महोदय द्वारा समय-समय पर निर्देशित आवश्यक विषयों पर यथासमय कुलानुशासक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर अपनी रिपोर्ट आवश्यक कार्यार्थ कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगा।

विद्वत्परिषद द्वारा कुलानुशासक मण्डल के गठन के प्रारूप एवं उसके अधिकार को स्वीकृत किया गया :-

1. प्रो. देवी प्रसाद त्रिपीठी	-	अध्यक्ष
2. प्रो. नागेन्द्र झा	-	सदस्य
3. प्रो. रमेश प्रसाद पाठक	-	सदस्य
4. प्रो. हरिहर त्रिवेदी	-	सदस्य
5. प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी	-	सदस्य
6. प्रो. भागीरथि नन्द	-	सदस्य
7. प्रो. हरेराम त्रिपाठी	-	सदस्य
8. प्रो. कमला भारद्वाज	-	सदस्य
9. प्रो. शुकदेव भोई	-	सदस्य
10. प्रो. बिहारी लाल शर्मा	-	सदस्य
11. डॉ. सदन सिंह	-	सदस्य
12. श्री सुच्चा सिंह	-	संयोजक

कुलपति द्वारा कुलानुशासक मण्डल में आवश्यकतानुसार नये सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है और उसके अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जा सकता है।

दिनांक १०/२/२०१७ को आयोजित कुलानुशासक मण्डल की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक का कार्यवृत्त निम्न प्रकार है:-

कार्यालयीय आदेश संख्या क्रमांक एफ-3/4/एल.बी.एस.वि./शै./2016-17 दिनांक 20.2.2017 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विद्यापीठ परिसर की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, छात्रों में अनुशासन को सुव्यवस्थित बनाये रखने आदि के लिए कुलानुशासक मण्डल का गठन किया गया है जिसकी प्रथम बैठक दिनांक 23/3/2017 को आयोजित की गई थी।

R. Bala

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विद्यापीठ परिसर की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, छात्रों में अनुशासन को सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाए की:-

1. सभी छात्रों को आत्मानुशासन का पालन करते हुए कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रखना होगा।
2. छात्रों को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उन्हें यथोचित दण्ड दिया जायेगा। छात्रों द्वारा अत्यन्त गम्भीर दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर/प्रमाणित होने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा पर छात्र को विद्यापीठ से निष्कासित भी किया जा सकता है।
3. कोई छात्र यदि परिसर की सम्पत्ति का नुकसान करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान हुई सम्पत्ति की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा।
4. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा को बनाए, रखेंगे। उन्हें ऐसी किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग लेने से सख्त मना किया जाता है, जो परिसर की गरिमा के विपरीत हो। विद्यापीठ परिसर में मदिरा का सेवन, असंवैधानिक नारेबाजी, धरणा प्रदर्शन, पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न करना, पुतला फूकना, बाह्य छात्रों को लेके आना, छात्रावास भोजनालय, कैन्टीन आदि में अनुशासनहीनता करना पूर्ण रूप से वर्जित होगा।
5. विद्यापीठ परिसर में स्वयं या उनके द्वारा हिंसा फैलाने, शांन्ति भंग करने, किसी से भी मारपीट करना, छात्रों द्वारा जोर-जोर से गाने-बाजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण करना, अपनी बात असंवैधानिक तरीके से मनवाने का प्रयास करने पर तथा दबंगई तरीके से अंन्य छात्रों को धमकाने पर अनुशासन समिति उस छात्र को दण्डित कर सकती है।
6. अनुशासन समिति की अनुशंसा पर कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
7. परिसर में कालांश के समय छात्रों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।
8. विद्यापीठ की शैक्षणिक नियम परिचायिका में निर्धारित सभी नियमों का परिपालन करना प्रत्येक छात्र-छात्रा का कर्त्तव्य होगा।
9. किसी भी छात्र को रैगिंग का दोषी पाये जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध रोकने के अधिनियम 2009 एवं 2016 के अनुसार दण्ड दिया जाएगा जिसके तहत कक्षा से पंजीकरण तथा छात्रावास से निष्कासन किया जा सकता है। सभी छात्रों को रैगिंग अपराध निषेध अधिनियम का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा।

रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्य

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे –

क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों एवं लिखित शब्दों द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।

ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाएं।

ड नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

छ शारीरिक शोषण से सम्बन्धित कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वाथ्य को हानि पहुँचे।

ज मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना, स्थानापन्न अथवा कष्ट देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन, मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

ण किसी भी छात्र को (नवीन प्रविष्ट या अन्यथा) लक्षित करके रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जातिमूल, लिंग (उभय लैंगिकों सहित) लैंगिक प्रवृत्ति, बाह्य स्वरूप, राष्ट्रीयता, श्रेत्रीयमूल, भाषा वैशिष्ट्य, जन्म, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना (दबंगई एवं बहिष्करण) का कृत्य। विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध रोकने के अधिनियम 2009 एवं 2016 विद्यापीठ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015 में प्रदत्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित अधिनियम विद्यापीठ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

11. छात्र कल्याण परिषद् के सभी सदस्यों को छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु निर्धारित नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. प्रत्येक छात्र-छात्रा को विद्यापीठ परिसर के गौरव को बढ़ाने के लिए सद् आचरण से रहना होगा। पान, तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थ खाना वर्जित है। विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य है। परिसर के भवन, फर्नीचर आदि को कोई हानि पहुँचाये जाने पर छात्र का नाम परिसर से निरस्त किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति राशि छात्र से ली जायेगी।

13. प्रत्येक छात्र-छात्रा को अपना पहचान-पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा।

R Bala

कुलानुशासक मण्डल द्वारा यह अनुशंसा की गई की उपरोक्त नियमों को विद्यापीठ की शैक्षणिक उपनियमों तथा छात्रावासीय नियमावली में भी सम्मिलित किया जाए।

विद्वत्परिषद् द्वारा कुलानुशासक मण्डल के गठन की पुष्टि की गई तथा मण्डल द्वारा पारित संस्तुतियों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से यथावत लागू करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्या ७.१० शोध विभाग द्वारा प्रकाशित विद्यापीठवार्ता प्रथम अंक की पुष्टि।

विद्यापीठ के शोध विभाग द्वारा विद्यापीठ की समस्त गतिविधियों के परिचय हेतु शैक्षणिक सत्र 2016-17 में विद्यापीठवार्ता त्रैमासिक वार्ता पत्र के प्रथम अंक (अक्टूबर - दिसंबर 2016) का मुद्रण कार्य सम्पन्न किया जा चुका है जिसकी पुष्टि की गयी। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विद्यापीठवार्ता को नियमित रूप से प्रकाशित किया जाय और उसे विद्यापीठ के समस्त अध्यापकों को प्रदान किया जाय एवं कर्मचारियों तथा छात्र-छात्राओं की सूचना हेतु विद्यापीठ की वेबसाईट पर भी उल्लेख किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यापीठवार्ता की प्रतियां प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों, आयोगों के प्रमुखों एवं सदस्यों आदि को नियमित रूप से प्रेषित किया जाय। इस सम्बन्ध में एक सूची कुलपति द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

विद्वत्परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ वार्ता का पंजीयन कराया जाय, साथ ही साथ विद्यापीठ से प्रकाशित होने वाली समस्त शोध पत्रिकाओं का पंजीयन कराया जाय।

कार्यसूची संख्या ७.११ विद्यावारिधि की उपाधि हेतु योग्य घोषित शोध छात्रों को विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति।

विद्यापीठ के विभिन्न विभागों में शोध छात्र के रूप में पंजीकृत शोध छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध सम्बन्धी विनियम, 2009 के आलोक में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को कुलपति महोदय के आदेशानुसार दो बाह्य परीक्षकों से मूल्यांकित कराया गया और नियमानुसार उनकी वाक् परीक्षा सम्पन्न कराई गई। वाक् परीक्षा प्रतिवेदन कुलपति द्वारा स्वीकृत किया गया है। निम्नलिखित शोध छात्रों की वाक् परीक्षा फरवरी 2017 से मार्च 2017 की अवधि में सम्पन्न कराई गयी है:-

क्रम सं.	नाम	विषय	वाक् परीक्षा की तिथि
1	रतन सिंह	शिक्षाशास्त्र	28.02.2017
2	श्वेता अग्रवाल	सर्वदर्शन	18.03.2017
3	ममता कुमारी	व्याकरण	22.03.2017
4	चन्द्रकान्त	ज्योतिष	24.03.2017

R-Bala

इस परिप्रेक्ष्य में विद्वत्परिषद के संज्ञान में यह लाया गया कि वर्ष 2016 में स्वीकृत विशिष्टाचार्य (एम. फिल.) / विद्यावारिधि (पीएच.डी.) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत अस्थाई प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। विद्वत्परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ स्तर पर एक शोधोपाधि समिति (Research Degree Committee)का गठन किया जाय। शोधोपाधि समिति की संस्तुति के उपरांत ही शोध छात्रों को अस्थाई प्रमाण-पत्र/शोधोपाधि निर्गत की जायेगी। शोधोपाधि समिति की संस्तुतियों को प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शोध कार्य सम्पन्न करने वाले छात्र की वाक् परीक्षक के अनन्तर यदि वाक् परीक्षक भी अनुसन्धान उपाधि प्रदान करने के लिए संस्तुति करते हैं तो सभी संस्तुतियाँ शोधोपाधि समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। शोधोपाधि समिति द्वारा विद्यावारिधि उपाधि हेतु निर्धारित मापदंडो के अनुपालन में वाक् परीक्षकों की संस्तुतियों की समीक्षा कर सम्बन्धित शोध छात्रों को शोध उपाधि प्रदान करने के लिए योग्य घोषित करने की अनुशंसा तथा अस्थाई प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की जाएगी। शोधोपाधि समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:-

1. कुलपति, अध्यक्ष
2. संकाय प्रमुख, वेद-वेदांग - सदस्य
3. संकाय प्रमुख, साहित्य एवं संस्कृति - सदस्य
4. संकाय प्रमुख, दर्शन - सदस्य
5. संकाय प्रमुख, आधुनिक विद्या - सदस्य
6. संकाय प्रमुख, शिक्षाशास्त्र - सदस्य
7. कुलसचिव - सदस्य
8. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (परीक्षा) - संयोजक

उपरोक्त शोधोपाधि समिति की बैठक आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में की जा सकती है। शोधोपाधि समिति की अनुशंसा के उपरान्त परीक्षा विभाग द्वारा अस्थाई प्रमाण पत्र/उपाधि पत्र जारी किया जा सकता है। विद्वत्परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्त नियम को विद्यावारिधि नियमावली, 2016 में सम्मिलित किया जायेगा।

R-Balu

कार्यसूची संख्या ७.१२ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या १-२/२०१७ (सीपीपी-II) दिनांक ३१/१/२०१७ के अनुसार पाठ्यक्रम संशोधन के संबंध में।

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ शिक्षा और सामाजिक विकास पर सचिवों के समूह की एक हाल ही में आयोजित बैठक में, यह सिफारिश की गई थी कि विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और हर तीन साल में कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। इस समीक्षा और शैक्षणिक पाठ्यक्रम के संशोधन को ध्यान में रखना चाहिए कि मौजूदा और संभावित मांग और कौशल की आपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को रोजगार योग्य बनाया जाए।

उपरोक्त निर्देशानुसार पाठ्यक्रम को संशोधित करने के विषय में विद्वत्परिषद् के संज्ञान में यह लाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुपालन में विभिन्न विभागों के अध्ययन मण्डलों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित पाठ्यक्रम को वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में संशोधित किया जा चुका है तथा संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही पठन-पाठन का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार कौशलवृद्धि को ध्यान में रखते हुए कौशल आधारित ज्ञान-विज्ञान के विषयों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। विद्वत्परिषद द्वारा मानवाधिकार-शिक्षा, मानवीयमूल्य-शिक्षा, संगणक-प्रयोग, पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रमों की पुष्टि की गयी। छात्रों द्वारा अध्ययन हेतु इनमें से चयनित विषयों के दो-दो पत्र अनिवार्य हैं।

विद्वत्परिषद् द्वारा आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि सत्रीय पाठ्यक्रमों के संशोधित विकल्पाधारित पाठ्यक्रमों की पुष्टि की गयी। विद्वत्परिषद के संज्ञान में लाया गया कि संशोधित पाठ्यक्रमों को सत्र 2016-17 में लागू किया जा चुका है। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि के पाठ्यक्रम में संगणक विज्ञान के पाठ्यक्रम को भी सम्मलित किया गया है जिसकी पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या ७.१३ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या १-३/२००७(सी.पी.पी-II) दिनांक ६/१२/२०१६ के अनुसार प्रवेश उपरान्त शुल्क वापसी एवं सुरक्षित धन राशि संबंध में लिए गए निर्णय को लागू करने की स्वीकृति हेतु।

R.Bali

विद्वत्परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1-3/2007(सी.पी.पी-II) दिनांक 6/12/2016 के अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

कार्यसूची संख्या ७.१४ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या ९-१/२०१४ (सी.पी.पी. १-२) दिनांक२१/३/२०१७ के अनुसार अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तैयार करने के संबंध में लिए गये निर्णय का क्रियान्वयन।

विद्वत्परिषद द्वारा सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र 9-1/2014 (सी. पी.पी. 1-2) दिनांक21/3/2017 पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तैयार करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 22/2/2017 की 521वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में विद्यापीठ में प्रविष्ट समस्त छात्र / छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त जारी की जानें वाली अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्रों में संबंधित छात्रों के फोटोग्राफ एवं आधार नम्बर अंकित करने सम्बन्धी प्रावधान को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू किया जायेगा। विद्वत्परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त **निर्णय के क्रियान्वय हेतु प्रवेश आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों से एक अतिरिक्त फोटाग्राफ और आधार नम्बर प्रदान करने का निर्देश** जारी किया जाय।

कार्यसूची संख्या ७.१५ दिनांक १५.२.२०१७ को आयोजित छात्रावास प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुत छात्रावासीय छात्रों के लिए छात्रावासीय नियमावली की पुष्टि।

विद्यापीठ के छात्रावास में अनुशासन व्यवस्था के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने हेतु छात्रावासीय प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 15.2.2017 को आयोजित की गई थी। समिति द्वारा छात्रावासीय छात्रों के लिए अनुशासन के संबंध में तैयार नियम शैक्षणिक सत्र 2017-18 की छात्रावासीय परिचय एवं नियमावली में उल्लेख किये गये हैं। छात्रावास के प्रबन्ध एवं प्रवेश के सम्बन्ध में नियमावली को स्वीकृति प्रदान करने के लिये कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

कार्यसूची संख्या ७.१६ परीक्षा विभाग द्वारा विचारणीय बिन्दु :-

1. विद्वत्परिषद द्वारा परीक्षा मण्डल के लिए नये सदस्यों के मनोनयन के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

R. Bali

2. सत्र 2016-17 में प्रारम्भ किये गए सायंकालीन पाठ्यक्रमों (कम्प्यूटर सर्टिफिकेट एवं संस्कृत पत्रकारिता) की अंकतालिका प्रारूप तैयार करने पर विचार।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया की कम्प्यूटर सर्टिफिकेट एवं संस्कृत पत्रकारिता आदि अंशकालिक पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों को निर्गत की जाने वाली अंक तालिका में संबंधित पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाने वाले प्रश्न पत्रों को अंकित किया जाए। अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए अंक तालिका प्रारूप संकाय प्रमुखों की समिति द्वारा तैयार कर कुलपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

3. अंकतालिका पर विशेष सुरक्षा चिह्न पर विचार।

अंकतालिका पर विशेष सुरक्षा चिह्न निर्धारित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है।

कार्यसूची संख्या ७.१७ महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा यू.जी.सी की सक्षम योजना के अन्तर्गत तैयार फाउंडेशन पाठ्यक्रम विद्वत्परिषद् की पुष्टि हेतु ।

दिनांक 20 मार्च, 2017 को महिला अध्ययन केन्द्र के संगोष्ठी कक्ष सं. 203 में (विद्वत्परिषद् की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात्) यू.जी.सी की सक्षम योजना के अंतर्गत शास्त्री प्रथम वर्ष (10 दिवस हेतु), विद्यावारिधि (एक सप्ताह हेतु) तथा शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) फाउंडेशन पाठ्यक्रम के पुनरावलोकन हेतु पाठ्यक्रम समिति की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। समिति द्वारा तैयार फाउंडेशन पाठ्यक्रम विद्वत्परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विद्वत्परिषद् द्वारा महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा यू.जी.सी की सक्षम योजना के अन्तर्गत तैयार फाउंडेशन पाठ्यक्रम की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 7.18 (1) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारार्थ प्रस्तुत अन्य विषय

7.18 (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन एवं समस्त कक्षाओं की समय-सारणी तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है:-

R.Bala

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार निर्मित सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दो क्रेडिट वाले पाठ्यक्रमों के लिए सप्ताह में मात्र दो कक्षायें निर्धारित की जायें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अध्यापक को न्यूनतम 5 घण्टे विश्वविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन एवं शोध का कार्य करना अनिवार्य है।
2. समस्त कक्षाओं के कालांश 60 मिनट के होगें।
3. समस्त विभागाध्यक्ष शास्त्री कक्षा कालाश चक्र में आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि कक्षाओं के कालांश का समावेश करेंगे।
4. प्रत्येक कक्ष के दरवाजे पर नेमप्लेट के नीचे एक ए-4 साईज में स्टील की प्लेट पर सभी अध्यापक अपनी वार्षिक समय-सारिणी को सम्बन्धित छात्रों एवं अधिकारियों की सूचना हेतु चिपकाएँ। जिस कक्षा में छात्र न हो उस कक्षा का समय-सारिणी में उल्लेख न किया जाए।
5. एन.सी.सी. परेड प्रति शुक्रवार को 01:00 बजे से 05:00 बजे तक आयोजित की जायेगी जिससे अध्यापन में बाधा न हो।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया की उपरोक्त विवरण के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2017-18 की समय-सारणी मई, 2017 के दौरान तैयार की जाए तथा समस्त कक्षाओं का अध्यापन निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही किया जाए।

कार्यसूची संख्या 7.18 (2)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, २०१६ के दिशा-निर्देशो के अनुसार विषय-वार संदर्भित पत्रिका एवं प्रतिष्ठित पत्रिका की सूची और प्रकाशकों की सूची पुष्टि हेतु।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विद्यापीठ के सभी विभागों से संबंधित संदर्भित पत्रिका एवं प्रतिष्ठित पत्रिका की सूची तैयार कर पत्र संख्या एफ-1(90) चयन/2016-17/2733 दिनांक 23/3/2017 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है। संबंधित पत्रिकाओं की सूची विद्यापीठ की वेबसाइट पर भी अंकित की जा चुकी है। साथ ही पुस्तकों के प्रकाशकों की सूची पर भी विचार-विमर्श किया गया।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियम, 2016 के दिशा-निर्देशो के अनुसार विषय-वार संदर्भित पत्रिका एवं प्रतिष्ठित पत्रिका की सूची और प्रकाशकों की सूची के मूल्यांकन एवं अद्यतन करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है :-

1. प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी - अध्यक्ष
2. प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेय, रा.सं.संस्थान
3. प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र, रा.सं.संस्थान

R.Bal

4. प्रोफेसर रचना वर्मा मोहन
5. डा. सुमन कुमार झा – संयोजक

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया यदि किसी विभाग द्वारा उक्त सूची में किसी नयी शोधपत्रिका/प्रकाशक का नाम यदि अंकित किया जाना है तो संबंधित विभाग सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत वर्तमान सूची में संशोधन कर शैक्षणिक विभाग को सूचित करें जिसे समिति के विचारार्थ रखा जा सके। समिति एक माह के अन्दर अपनी संस्तुति कुलपति को प्रस्तुत करेगी। विद्वत्परिषद् द्वारा कुलपति को इस विषय में आवश्यक निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया जाता है।

कार्यसूची संख्या ७.१८ (३) छात्रावास प्रबन्ध एवं प्रवेश समिति के गठन छात्रावासीय नियमावली की स्वीकृति

श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) अखिल भारतीय स्तर की शिक्षण-संस्था है। इसमें अध्ययन करने हेतु देश के सभी भागों के छात्र आते हैं। अतः छात्रावास का सञ्चालन विद्यापीठ की एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है। छात्रावास में प्रवेश के लिए नामांकनोपरान्त छात्रावास कार्यालय से आवेदन पत्र भरना होता है। इस सम्बन्ध में छात्रावास नियमावली में उल्लिखित नियम प्रभावी होंगे। कुलपति द्वारा प्रतिवर्ष छात्रावास के प्रबन्ध एवं प्रवेश हेतु निम्नलिखित सदस्यों से युक्त समिति का गठन किया जायेगा–

1. समस्त संकाय प्रमुख
2. छात्रावास अधिष्ठाता
3. सह-छात्रावास अधिष्ठाता (कुलपति द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अध्यापक को मनोनीत किया जायेगा)
4. कुलानुशासक
5. सम्पर्क अधिकारी, एस.सी. / एस.टी.
6. सम्पर्क अधिकारी, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ
7. सहायक कुलसचिव, शैक्षणिक – सदस्य-सचिव

छात्रावास प्रबन्ध एवं प्रवेश समिति छात्रावास परिसर में छात्रों में अनुशासन, छात्रावास आवंटन, छात्रावास भोजनालय, कैंटीन आदि से संबंधित विषयों पर और कुलपति / कुलसचिव द्वारा समय-समय पर निर्देशित आवश्यक विषयों पर यथा समय बैठक आयोजित कर अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी। छात्रावास प्रबन्ध एवं प्रवेश समिति का अध्यक्ष कुलपति या किसी वरिष्ठ आचार्य को नियुक्त किया जा सकता है।

R. Bau

विद्वत्परिषद् द्वारा छात्रावास आवंटन हेतु तैयार नियमो तथा छात्रावास परिसर में छात्रों में अनुशासन, छात्रावास आवंटन, छात्रावास भोजनालय, कैंटीन आदि विषयों आवश्यक कार्यवाही करने हेतु गठित समिति द्वारा संस्तुत छात्रावासीय परिचय एवं नियमावली की पुष्टि की गई। यह नियम शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से प्रभावी होगें। छात्रावासीय परिचय एवं नियमावली का यथाशीघ्र प्रकाशन किया जाय।

कार्यसूची संख्या ७.१८ (४) स्नातक एवं स्नातकोत्तर योग पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु गठित परामर्शदात्री समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर योग पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु गठित परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और योग विभाग के गठन को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गयी। परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों की समीक्षा के लिये समिति का गठन कर निर्णय लेने के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया। समीक्षा समिति योग विभाग के लिये आवश्यक पद एवं संसाधनों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट कुलपति की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करेगी। योग विभाग के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले नियमित योग स्नातक (बी.ए.-योग) एवं योग स्नातकोत्तर (एम.ए.-योग) पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के साथ-साथ योग विभाग के गठन के लिये आवश्यक पद एवं संसाधन के लिये अग्रसारित किया जाय।

कार्यसूची संख्या ७.१८ (५) दर्शन संकाय के अन्तर्गत जैनदर्शन विषय में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने पर विचार।

जैनदर्शन विषय में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जैनदर्शन विषय में षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम एवं एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन स्ववित्तपोषित आधार पर अन्य पाठ्यक्रमों की भाँति प्रारम्भ किया जाय। इन पाठ्यक्रमों का संचालन जैनदर्शन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

कार्यसूची संख्या ७.१८ (६) शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य कक्षाओं में अध्ययन एवं परीक्षाओं में माध्यम के सम्बन्ध में विचार।

विद्वत्परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अन्य शास्त्रीय विभागों की भांति शिक्षाशास्त्र के शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, शिक्षा-विशिष्टाचार्य कक्षाओं में भी अध्ययन-अध्यापन और परीक्षा का माध्यम पूर्णतः संस्कृत भाषा होगी। एतदर्थ 8 मई, 2017 से 26 मई, 2017 दिवसीय संस्कृताध्यापन कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्रोफेसर नागेन्द्र झा की

अध्यक्षता में किया जायेगा जिसके संयोजक डा. परमेश कुमार शर्मा होगे। कार्यशाला में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के विषय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

कार्यसूची संख्या ७.१८ (७) राजनीतिशास्त्र विषय के अध्यापन हेतु अतिथि अध्यापक नियुक्त करने पर विचार।

विद्यापीठ के आधुनिक विद्या संकाय के राजनीतिशास्त्र के अध्यापक के जनवरी, 2017 में अचानक अस्वस्थ होने और अवकाश पर जाने तथा समाजशास्त्र की अध्यापिका के आकस्मिक निधन के कारण सम्बन्धित विषय के छात्रों का अध्यापन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। समाजशास्त्र के लिये नियमित अध्यापक नियुक्ति किये जाने की प्रक्रिया में अधिक समय लगने की सम्भावना की स्थिति को दृष्टि में रखते हुये अस्थायी अध्यापक को नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार किया गया। इस सम्बन्ध में विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विषयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुये अस्थायी नियुक्ति के लिये निम्नलिखित सदस्यों की चयन समिति का गठन किया जा सकता है :-

1. कुलपति	–	अध्यक्ष
2. बाह्य विषय विशेषज्ञ (दो)	–	सदस्य
3. संकाय प्रमुख	–	सदस्य
4. विभागाध्यक्ष	–	सदस्य

इन पदों पर तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुंये यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ की बेबसाइट पर सूचना जारी कर एक सप्ताह के अवधि में आवेदन आमंत्रित कर उपर्युक्त चयन समिति के माध्यम से साक्षात्कार प्रक्रिया को सम्पन्न करते हुये अस्थायी नियुक्ति की जाय। अस्थायी नियुक्तियों के लिये उपरोक्त चयन समिति एवं आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का अनुपालन किया जायेगा। अस्थायी अध्यापकों को रुपया 1000/- प्रतिघंटा और अधिकतम रुपया 25,000/- प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति एक सत्र या अधिकतम एक शैक्षणिक वर्ष के लिये होगी।

कार्यसूची संख्या ७.१८ (८) विद्यापीठ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार।

भारतीय शास्त्रीय विधाओं में निहित अप्रतिम ज्ञान और प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों को आधुनिक शिक्षा की प्रस्थापनाओं एवं सिद्धान्तों के साथ तारतम्य स्थापित करने और प्राचीन भारतीय ज्ञान की गरिमा को पुन:स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि भारत में शास्त्रीय विधा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय विद्यापीठ निरन्तर

R.Bay Pnf

प्रयासरत है। विद्यापीठ की स्थापना के उद्देश्यों को व्यावहारिक धरातल पर लाने के लिये यह आवश्यक है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित इस विद्यापीठ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की दिशा में सक्रिय प्रयास करते हुये भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। इसे दृष्टि में रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाय जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने के लिये एक प्रतिवेदन तैयार करे। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

रेनू बतरा
कुलसचिव

रमेशकुमार पाण्डेय
कुलपति